भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4067
दिनांक 19.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत पेटी कान्ट्रैक्ट प्रणाली

4067. श्री दरोगा प्रसाद सरोजः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या हर घर नल से जल योजना के अन्तर्गत पेटी कान्ट्रैक्ट प्रणाली के माध्यम से ठेकेदारों द्वारा टैंक निर्माण कार्य कराया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पूरे देश में कान्ट्रैक्ट प्रणाली के अन्तर्गत पेटी कान्ट्रैक्ट प्रणाली स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टैंक निर्माण एवं जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने के लिए खुदाई के पश्चात् गांव की सड़कों की मरम्मत हेतु कोई व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) पूरे देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के गांवों में किए जा रहे उक्त निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और
(ङ) उक्त योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में कितने गांव शामिल हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल लागू कर रही है।

जल राज्य का विषय है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ*, जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाते

समय प्रभावित हुई गलियों अथवा सड़कों की मरम्मत अथवा उनका निर्माण करना शामिल है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है और जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों को होने वाली किसी कठिनाई से बचने के लिए राज्यों को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण जल योजनाओं को इस प्रकार से शुरू करें जिससे सड़कों/राजमार्गों जैसी अवसंरचना को कम से कम क्षति हो और जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए पाइपलाइन बिछाते समय क्षतिग्रस्त होने पर सड़कों/राजमार्गों को तत्काल ठीक किया जाए।

यह सलाह दी गई है कि कार्य पूरा होने के बाद, जल आपूर्ति योजना को लागू करने वाला विभाग ग्राम पंचायत को कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करता है। प्रमाण-पत्र में विभाग *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रमाणित करता है कि जलापूर्ति कार्यों के पूरा होने के बाद सभी सड़कों को ठीक कर दिया गया है। इसके बाद, ग्राम सभा अपनी बैठक में कार्य पूरा होने की रिपोर्ट को जोर से पढ़ते हुए, औपचारिक रूप से 'हर घर जल' गांव के रूप में स्वयं को प्रमाणित करते हुए प्रस्ताव पारित करती है। कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की प्रति, ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प और ग्राम सभा को कैप्चर करने वाला एक छोटा वीडियो जेजेएम डैशबोर्ड पर दर्शाया जाता है तथा गांव को जेजेएम-आईएमआईएस में प्रमाणित चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार, प्रमाणन ग्राम स्तर पर और गांव के सभी परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने तथा जल आपूर्ति कार्यों के निष्पादन के दौरान हुई सभी क्षति को ठीक करने के बाद ही किया जाता है।

(घ) और (ङ) जल जीवन मिशन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के 3,815 गांवों में रहने वाले परिवारों सहित देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। अगस्त, 2019 में जेजेएम के शुभारंभ के समय, देश में 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति थी। तब से, देश में 12.13 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 16 दिसंबर, 2024 तक देश के कुल 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.36 करोड़ (79.35%) परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में, जेजेएम के शुभारंभ के समय राज्य में 5.16 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति थी। तब से, राज्य में 226.22 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 16 दिसंबर, 2024 तक, राज्य के कुल 266.94 लाख ग्रामीण परिवारों में से 231.39 लाख (86.68%) परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

*****